**न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**<u>कक्ष संख्या–3, लखनऊ।</u>**

**जमानत प्रार्थनापत्र सं 7449/2022**
सी.एन.आर नं0 UPLK01012775-2022
मुकदमा अपराध सं0 302/2022
धारा 419,420,467,468,471,504,506,
120बी भा0दं0सं0
थाना कोतवाली चिनहट, लखनऊ।

सौम्या .... प्रार्थिनी/अभियुक्ता

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी/अभियोगी

**<u>दिनांक 05–09–2022</u>**

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सौम्या की ओर से अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दण्ड प्रक्रिया संहिता मय शपथपत्र, शपथपत्र में उल्लिखित आधारों पर प्रार्थिनी/अभियुक्ता को जमानत पर छोड़े जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादी मुकदमा अरूण कुमार यादव द्वारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी गयी कि प्रार्थी द्वारा अपनी माता श्रीमती कलावती पत्नी राम शरण यादव के नाम एक भवन प्लाट नं0 32 खसरा नं0 77 रकबा 1000 वर्गफिट स्थिम ग्राम गणेशपुर रहमानपुर थाना चिनहट, जिला लखनऊ पंजीकृत बैनामा उप निबन्धक द्वितीय सदर, लखनऊ के सक्षम कराया था उक्त माकन को ललित अवस्थी पत्नी महेन्द्र अवस्थी निवासिनी गणेशपुर रमानपुर, परगना व तहसील, जिला लखनऊ ने दिनांक 31–07–2013 को प्रार्थी के माता के पक्ष में विक्रय किया गया था विक्रय के उपरान्त प्रार्थी अपनी माता व परिवार के साथ उक्त मकान का प्लास्टर करा कर रहने लगे प्रार्थी के चाचा के लड़के की मृत्यु दिनांक 09–02–2022 को हो गयी जिसके कारण प्रार्थी अपने उक्त मकान में ताला लगाकर अपने पैतृक गांव चला गया दिनांक 05–03–2022 को जब प्रार्थी अपने उपरोक्त मकान पर आया तो मकान पर लगे हुये ताले का टूटा हुआ पाया तथा अन्दर जाकर देखा तो एक व्यक्ति कमरे में लेटा हुआ था। प्रार्थी ने जब उससे पूछा कि तुम कौन हो तो उसने अपना नाम प्रमोद शुक्ला पुत्र गोविन्द शुक्ला बताया उसके बाद प्रार्थी ने पूछा कि ताला तोड़ कर तुम अन्दर क्यों आये तो उसने बताया कि यह मकान प्रार्थी की बहन का है इस मकान को उसकी बहन सौम्या पत्नी विनोद कुमार दीक्षित ने रिंकी देवी पत्नी कौशलेन्द्र मिश्रा व कौशलेन्द्र नाथ मिश्रा पुत्र बुधराम मिश्रा से खरीदा है। विपक्षी की उपरोक्त बात से प्रार्थी काफी परेशन हो गया तथा उपरोक्त प्रकरण की जानकारी करने

हेतु रजिस्टार आफिस, लखनऊ गया जहॉ पर मुआयना करने के उपरान्त प्रार्थी को यह जानकारी मिली कि प्रार्थी के उपरोक्त मकान का बैनामा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों को निष्पादन कर अन्य व्यक्ति को विक्रेता बनाते हुये विपक्षीगण द्वारा करा लिया गया है। जबकि राजस्व अभिलेखों में भी प्रार्थी की माता का नाम पंजीकृत स्वामी के रूप में दर्ज है। विपक्षीगण सरकस, जालसाज, भूमाफिया किस्म के लोग हैं तथा प्रार्थी की माता 66 वर्ष बृद्ध महिला है तथा चलने फिरने में असमर्थ रहती हैं। दिनांक 07–03–2022 का समय लगभग 6 बजे शाम प्रार्थी अपने उपरोक्त मकान में रहने हेतु गया तो विपक्षीगण तथा अज्ञात लोगों द्वारा प्रार्थी के साथ अभद्रता व गाली गलौज देते हुये जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थी ने उक्त घटना की सूचना लिखित रूप से थाने पर दिया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई। उक्त घटना के सम्बन्ध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर उचित कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सौम्या की ओर से स्वंय का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इससे पूर्व उसके द्वारा अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था और न ही किसी न्यायालय में लम्बित है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता को प्रश्नगत प्रकरण में वादी मुकदमा द्वारा झूठा एवं फर्जी तथ्यों के आधार पर फंसाया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता के द्वारा ऐसा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और न ही उसने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर ऐसा कोई कूटरचित दस्तावेज तैयार कर धोखा धड़ी कर छल कारित किया गया है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करने के पश्चात अभियोजन को किसी प्रकार से प्रभावित करने का कार्य नहीं करेगी एवं न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता न्यायालय के आदेशानुसार जमानत देने के लिये तैयार है। उक्त आधारों पर अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह कहा गया है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर षड़यन्त्र करके मकान का बैनामा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर अन्य व्यक्ति को विक्रेता बनाते हुये फर्जी बैनामा वादी मुकदमा को पैसे लेकर पंजीकृत करा दिया गया है। अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है अतः जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाये।

अभियोजन प्रपत्रों के अनुसार अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तों के साथ मिलकर षड़यन्त्र करके मकान का बैनामा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों को तैयार कर अन्य व्यक्ति को विक्रेता बनाते हुये फर्जी बैनामा वादी मुकदमा से पैसे लेकर पंजीकृत

करा दिया गया है जब वादी मुकदमा अपने मकान पर कब्जा करने गया तो भद्दी भद्दी गालियां देकर अपमानित करने एवं जान से मार देने की धमकी दिये जाने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्ता नामित हैं। प्रश्नगत प्रकरण में पुलिस द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार अभियुक्ता व उसके पति कौशलेन्द्र मिश्रा ने सम्पूर्ण भूखण्ड को वर्ष 2009 में मो0 फैज को व्रिकय कर दिया था। वर्ष 2009 के बाद पुनः दिनांक 09–11–2021 को रिंकी देवी ने उक्त 1000 वर्गफिट भूखण्ड में से 500 वर्गफिट अपनी सगी छोटी बहन सौम्या के नाम बैनाम कर दिया जिसमें सौम्या के पति विनोद दीक्षित व सौम्या–रिंकी देवी के पिता गोविन्द प्रसाद बैनामें में गवाह है। दिनांक 28–12–2921 का अभियुक्ता के पति कौशलेन्द्र मिश्रा द्वारा 1000 वर्गफिट में से बचे शेष 500 वर्गफिट को पुनः सौम्या के नाम बैनामा कर दिया। जिसमें बैनामा गवाह पुनः सौम्या के पति विनोद दीक्षित व सौम्या–रिंकी देवी के भाई प्रमोद शुक्ला बने। वादी मुकदमा ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 दं0प्र0सं0 में भी प्रथम सूचना रिपोर्ट के कथनों का पूर्णतः समर्थन किया है। उक्त मामले में प्रार्थिनी/अभियुक्ता की प्रश्नगत प्रकरण में संलिप्तता प्रथम दृष्टया दर्शित होती है। ऐसी दशा में प्रश्नगत प्रकरण की सम्पूर्ण घटना क्रम को दृष्टिगत रखते हुये मामले के तथ्यों, प्रकृति एवं कारित अपराध की गम्भीरता को देखते हुये अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 438 दं0प्र0सं0 निरस्त किये जाने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

प्रार्थिनी/अभियुक्ता सौम्या की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र सं0 7449/2022 सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं0 302/2022 अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471, 504, 506, 120बी भा0दं0सं0 थाना चिनहट, जनपद लखनऊ निरस्त किया जाता है।

दिनांक 05–09–2022

( अनुरोध मिश्र )
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, लखनऊ।